महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गुण0वि0 / ए0आर0पी0 / 9333 / 2024-25 दिनांक: 15 जनवरी, 2025

विषय: **समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए0आर0पी0) के चयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-902 / 68-5-2019 दिनांक-22 अक्टूबर 2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन करते हुये विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने तथा अन्य अकादमिक क्रियाकलापों के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 06 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ए0आर0पी0) की व्यवस्था की गयी है, जिसमें 05 ए0आर0पी0 का चयन करने तथा संबंधित विकासखण्ड के लिये नामित 01 डायट मेण्टर पदेन ए0आर0पी0 के रूप में कार्य करने संबंधी निर्देश प्रदत्त हैं।

उक्त शासनादेश में ए0आर0पी0 के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, चयन हेतु मापदण्ड, जनपदीय चयन समिति के कार्य आदि का उल्लेख करते हुये मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय चयन समिति गठित की गयी है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि *"Academic Recource Person (ARP) का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। प्रत्येक वर्ष परफारमेन्स अप्रैजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के पश्चात् पुनः चयन की प्रक्रिया की जायेगी।"*

2- शासनादेश संख्या-68-5099 / 143 / 2024-अनुभाग-5 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त विषयगत प्रकरण में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

1) शासनादेश संख्या-902 / 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या-2847 / 68-5-2022 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए0आर0पी0) के कार्यकाल की अवधि माह मार्च, 2025 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि इनके द्वारा विकासखण्ड के 10 विद्यालयों को "निपुण विद्यालय" के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 को जिन ए0आर0पी0 का कार्यकाल 03 वर्ष या इससे अधिक हो जायेगा, उन ए0आर0पी0 का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ए0आर0पी0 चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रकिया संपादित की जायेगी।

2) वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 तक) के उपरान्त शासनादेश संख्या-902 / 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ए0आर0पी0 का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ए0आर0पी0 का परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के पश्चात् पुनः नवीन चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

3) ए0आर0पी0 के रूप में अधिकतम 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे।

4) अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-902 / 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार यथावत् रहेंगे।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

Scanned with OKEN Scanner

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों एवं उल्लिखित प्रक्रियानुसार आगामी शैक्षिक सत्र (2025–26) के पूर्व जनपद में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन संबंधी कार्यवाही नियमानुसार **दिनांक 15 मार्च, 2025 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा/
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गुण0वि0 / ए0आर0पी0 / 9333 / 2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा/
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

डॉ0 एम.के. शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक #ApprovedDate

विषयः समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए0आर0पी0) के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-गुण0वि0/ए0आर0पी0/6308/2024-25 दिनांक 04.10.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए0आर0पी0) के कार्यकाल की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त विषयगत प्रकरण में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या-2847/68-5-2022 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए0आर0पी0) के कार्यकाल की अवधि माह मार्च, 2025 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि इनके द्वारा विकास खण्ड के 10 विद्यालयों को "निपुण विद्यालय" के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 को जिन ए0आर0पी0 का कार्यकाल 03 वर्ष या इससे अधिक हो जायेगा, उन ए0आर0पी0 का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ए0आर0पी0 चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी।

(2) वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2025 तक) के उपरान्त शासनादेश संख्या-902/ 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ए0आर0पी0 का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक वर्ष ए0आर0पी0 का परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के पश्चात् पुनः नवीन चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(3) ए0आर0पी0 के रूप में अधिकतम 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे।

(4) अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार यथावत् रहेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Shanmuga Sundaram
Date: 10-10-2024 11:44:03

(डॉ0 एम0 के0 शनमुगा सुन्दरम)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकारण, उत्तर प्रदेश।
7- सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
11- शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 902 /68-5-2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

विषयः समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3903/79-5-2010-424/2 टी0सी0 दिनांक 02 फरवरी, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा न्याय पंचायत समन्वयक हेतु पूर्व के शासनादेश संख्या 329/79-5-2009 दिनांक 03.02.2009 की व्यवस्था को पुर्नगठित करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्बन्धित न्याय पंचायत में संचालित समस्त विद्यालयों के लिए संकुल प्रभारी बनाये जाने के आदेश है। इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2011 में प्रत्येक विकासखण्ड में 07 सह समन्वयकों की व्यवस्था की गयी है। जिसमें से 01 पद समेकित शिक्षा, 01 पद वैकल्पिक/विशिष्ट शिक्षा, 01 पद विज्ञान शिक्षा 01 पद गणित शिक्षा, 01 पद अंग्रेजी शिक्षा, 01 पद हिन्दी शिक्षा तथा 01 पद सामाजिक अध्ययन के लिए है। इस प्रकार कुल 07 सहसमन्वयकों हेतु व्यवस्था शासनादेश में की गई है, जिसमें कि विषय विशेषज्ञ, सहसमन्वयक के पद प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भरे गए है ।

२- उक्त शासनादेश के क्रम में विहित व्यवस्था के अनुसार कार्यरत सह समन्वयकों से अकादमिक सपोंटिव सुपरविजन एवं अकादमिक नेतृत्व सम्बन्धी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सह समन्वयकों के कार्य की समीक्षा उपरान्त यह पाया गया है कि अधिकतर सह-समन्वयक सपोर्टिव सुपरविजन के अलावा अन्य कार्यों जैसे बी0आर0सी0 पर कार्यालयीय कार्य, सूचना बनाना आदि गतिविधियों में सम्मिलित रहते है तथा सपोर्टिव सुपरविजन के क्षेत्र में कार्य कुशलता एवं दक्षता में कमी पायी गयी है। इसी प्रकार संकुल प्रभारी द्वारा संकुल के समस्त विद्यालयों के साथ प्रभावी परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया एवं गुणवत्ता शिक्षा हेतु शैक्षिक सहयोग का अभाव दिखा। अतः लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ाने, रीमिडियल टीचिंग, नयी शिक्षा नीति

Scanned with OKEN Scanner

लागू करने के लिये दक्षता आकलन करते हुए नयी चयन प्रक्रिया करना अति आवश्यक एवं अपरिहार्य है। वर्तमान में कार्यरत एन.पी.आर.सी. समन्वयकों एवम बी. आर. सी. सह समन्वयकों को उनके मूल विद्यालय में कक्षा शिक्षण हेतु वापस कर दिया जाये।

३- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3903/79-5-2010-424/02 टी0सी0 दिनांक 02-02-2011 को अवक्रमित करते हुए नवीन व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है -

नवीन व्यवस्था में प्रति विकास खण्ड पर 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन् (Academic Reource Person) (ARP) होगें। जिसमें से 05 Academic Reource Persons (ARP) का चयन नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। Academic Reource Person (ARP) के लिये प्रदेश में 821 विकासखण्ड हेतु 4105 एवं 59 नगर संसाधन केन्द्र हेतु 295 अतिरिक्त Academic Reource Person (ARP) की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि Academic Reource Person (ARP) के लिए पृथक से पद का सृजन नहीं किया जायेगा वरन् पूर्व में सह समन्वयकों हेतु स्वीकृत पदों में ही समाहित किया जायेगा। उक्त 06 Academic Reource Persons (ARP) में से 05 का चयन किया जायेगा एवं संबंधित विकास खण्ड के लिये नामित 01 डायट मेंटर पदेन Academic Reource Person (ARP) के रूप में कार्य करेगें। इस प्रकार सभी विकास खण्डों के लिये चयनित Academic Reource Person (ARP) को मिलाकर जनपद स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूह Academic Reource Group (ARG) कहलायेगा। जिनके द्वारा बच्चों में लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों/ विद्यालयों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) करना मुख्य कार्य होगा।

४- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नवत निर्देश दिये जाते है:-

<u>(1) पुनर्गठन की व्यवस्था व संरचना -</u>

उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अपेक्षानुरुप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) प्रदान करने के लिये नयी व्यवस्था में विषय विशेषज्ञों के समूह का पुनर्गठन किया जा रहा है।

१- प्रत्येक विकास खण्ड हेतु कुल 6 Academic Reource Person (ARP) जिसमें से 05 विषय-विशेषज्ञ शिक्षक, 01 डायट मेंटर सदस्य होंगे, Academic Reource Person (ARP) का चयन जनपद स्तर पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। 06 विशेषज्ञ सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

२- 01 विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन विषय के (चयन हेतु कला संवर्ग में निर्धारित विषय- समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, कृषि)

३- 01 विशेषज्ञ अंग्रेजी विषय के (चयन हेतु कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य हो)

Scanned with OKEN Scanner

४- 01 विशेषज्ञ हिन्दी विषय के (चयन हेतु कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में हिन्दी अनिवार्य हो)

५- 01 विशेषज्ञ गणित विषय के (चयन हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित - पी.सी.एम. संवर्ग से अनिवार्य हो)

६- 01 विशेषज्ञ विज्ञान विषय के (चयन हेतु जीव विज्ञान, बनस्पति विज्ञान_जेड.वी.सी. संवर्ग से अनिवार्य हो)

७- 01 डायट मेंटर (संबंधित विकास खण्ड के लिये नामित पदेन Academic Reource Person (ARP)

८- अकादमिक संदर्भ समूह Academic Reource Group (ARG) के सदस्यों का चयन विद्यालयों को पूर्णकालिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य कार्य नहीं लिया जायेगा।

(2) Academic Resource Person (ARP) के चयन हेतु अर्हता:-

i. वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता हो।

ii. प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

iii. सेवा निवृत्त होने में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो।

iv. किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो।

(3) चयन प्रक्रिया:-

- शिक्षक साथी के चयन हेतु प्रतिष्ठित न्यूनतम 02 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जायेगा। विज्ञप्ति में आवेदन हेतु उल्लिखित विषय को स्पष्ट किया जाये।

(4) Academic Reource Person (ARP) के चयन हेतु जनपदीय चयन समिति निम्नवत होगी:-

1-	मुख्य विकास अधिकारी,	अध्यक्ष
2-	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
3-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
4-	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	सदस्य
5-	वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य

(5) जनपद स्तरीय चयन समिति के कार्य:-

I. आवदेन पत्रों की जांच कर अर्हता/अनर्हता के निर्धारण हेतु समिति का निर्धारण करना।

II. विषयवार लिखित परीक्षा कराने हेतु प्रश्नों पत्रों का निर्माण एवं कापियों के मूल्यांकन हेतु समिति निम्नवत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

- ✓ जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0 के शिक्षक/विशेषज्ञ (आवश्यकतानुसार)
- ✓ डायट के प्रवक्ता/शिक्षक (आवश्यकतानुसार)

III. विषयवार माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन हेतु अवलोकन/मूल्यांकन हेतु समिति निम्नवत होगी।

- ✓ प्राचार्य, डायट।
- ✓ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- ✓ जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0 के शिक्षक/विशेषज्ञ (आवश्यकतानुसार)
- ✓ डायट के दो प्रवक्ता/शिक्षक (आवश्यकतानुसार)

IV. विषयवार जांची हुई उत्तर पुस्तिकाओं का 10 प्रतिशत वैलिडेशन का कार्य करने हेतु समिति निम्नवत होगी।

- ✓ जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0 से दो विशेषज्ञ शिक्षक (जो मूल्यांकन कार्य से न जुड़े हों)
- ✓ डायट के दो विशेषज्ञ प्रवक्ता (जो मूल्यांकन कार्य से न जुड़े हों)

V. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के समस्त चरण यथा लिखित परीक्षा, कापियों की जांच, वैलिडेशन, माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन की विडियो रिकार्डिंग करायी जाये एवं समस्त रिकार्डिंग एवं उत्तर पुस्तिकाओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जाये।

नोट- Academic Reource Person (ARP) के चयन हेतु उपरोक्त पूरी प्रक्रिया जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

(6) चयन हेतु मापदण्डः-

Academic Reource Person (ARP) के चयन हेतु निम्नवत अंक निर्धारित हैः-

क्र.सं0	विवरण	अंक
1	विषयवार लिखित परीक्षा	60 अंक
2	माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन (10 से 15 मिनट प्रति प्रतिभागी- श्रोताओं को बाँधे रखना, संतुलित दृष्टिकोण, सहज एवम् तार्किक प्रवाह, एक अच्छे सम्प्रेषक क़े रुप में इत्यादि)	30 अंक
3	साक्षात्कार (विषयगत जानकारी, स्वप्रेरण, Leadership, Commitment, प्रारंभिक शिक्षा के प्रति विजन इत्यादि)	10 अंक
	कुल योग	100अंक

१-लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से उपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन के लिये क्वालिफाई करेगें।

२- माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से उपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिये क्वालिफाई करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

३- साक्षात्कार में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से उपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही फाईनल चयन हेतु क्वालिफाई करेगें।

४- लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग/शिक्षण प्रदर्शन तथा साक्षात्कार के कुल योग को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों का नम्बर 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से उपर होगा उन्हें Academic Reource Person (ARP) के चयन के लिये मेरिट लिस्ट बनाई जाये।

५- यदि जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई करते है तो उस स्थिति में मेरिट के आधार पर चयन किया जाये। शेष क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों में से विषयवार अधिकतम 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाये जो 6 माह तक वैध होगी।

६- चयन के उपरान्त यदि कुछ पद रिक्त रह जाते है तो ऐसी दशा में उपरोक्तानुसार पुनः चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत नियुक्तियां सुनिश्चित की जायें।

७- साक्षात्कार सम्पन्न होने के दो दिवस के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों की सूची डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

८- चयनित Academic Reource Person (ARP) का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट/वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा। पदस्थापन का कार्य सूची प्रकाशन की अगली तिथि को अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

(7) Academic Reource Person (ARP) का कार्यकाल एवं अन्य निर्देशः-

I. Academic Reource Person (ARP) का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। प्रत्येक वर्ष परफारमेन्स अप्रैजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा। अधिकतम 03 वर्ष के पश्चात् पुनः चयन की प्रक्रिया की जायेगी।

II. विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) करने हेतु प्रत्येक Academic Reource Person (ARP) को समग्र शिक्षा के वित्तीय नियमों/अनुमोदन के आधार पर Academic Reource Person को रु. 2500.00 प्रतिमाह एवम डायट मेन्टर को रु. 1000.00 प्रतिमाह मोबिलिटी/वाहन भत्ता जनपद स्तर से देय होगा।

III. Academic Reource Person (ARP) का समुचित वार्षिक मूल्यांकन (Performance appraisal) की व्यवस्था की जायेगी। मूल्यांकन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, डायट द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

IV. Academic Reource Person (ARP) के वार्षिक मूल्यांकन में संबंधित ब्लाक का मेन्टर एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होगा।

V. Academic Reource Person (ARP) पदस्थापन के उपरान्त जिला परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगें। पदस्थापन उपरान्त इनका कार्यक्षेत्र सम्बन्धित ब्लाक निर्धारित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

VI. Academic Reource Person (ARP) की कार्य अवधि मुख्यरूप से विद्यालय समयावधि होगी, किसी कार्य की आवश्यकता पर विद्यालय समयावधि के बाद ही ब्लाक संसाधन केन्द्र पर जा सकेंगें।

VII. Academic Reource Person (ARP) द्वारा नियोजित कार्य योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य के लिये संकुल का मुख्य विद्यालय अथवा संकुल का अन्य विद्यालय (जहां पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष/स्थान हो) मुख्यतौर पर होगा।

VIII. Academic Reource Person (ARP) की नियमित उपस्थिति उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा एप पर अपलोड किये जाने से मानी जायेगी।

IX. Academic Reource Person (ARP) अपने विषय से संबंधित प्रशिक्षणों में ही प्रतिभागी/ प्रशिक्षक के रूप में नियोजित किये जायेगें।

(8) Academic Reource Person (ARP) के वेतन आहरण की व्यवस्थाः-

Academic Reource Person (ARP) का वेतन उसी विद्यालय से निकलेगा जिस विद्यालय में वे कार्यरत थे तथा वेतनमानमेंकोई बढ़ोत्तरी नही की जायेगी। उक्त कार्य हेतु यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य इन्सेन्टिव नहीं दिया जायेगा।

(9) Academic Reource Person (ARP) के कार्य व दायित्वः-

1. Academic Reource Person (ARP) आगामी एक माह की कार्ययोजना एवं भ्रमण कार्यक्रम जिला समन्वयक-प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य को माह की 28 तारीख तक अवश्य प्रेषित करेंगे तथा कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। यह कार्ययोजना वर्तमान विद्यालयी स्थितियों व उपलब्ध अकादमिक जानकारियों व आंकड़ों के आधार पर बनायेगें। उसी प्रकार मासिक कार्ययोजना के आधार पर उपलब्धि आख्या (Achievement Report) उपर्युक्त उल्लिखित प्रक्रिया आगामी माह की 5 तारीख तक सम्बन्धित को प्रेषित करेगें।
2. प्रत्येक Academic Reource Person (ARP) द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 30 विद्यालयों (डायट मेन्टर द्वारा 10 विद्यालय) (के.जी.बी.वी. में अधिकतम दो बार) में 'प्रेरणा' ऐप के माध्यम से आनलाईन सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करेगें।
3. लर्निंग आउटकम पर आधारित बच्चों का अधिगम स्तर आकलन का डाटा फीडिंग पूर्ण करवाना तथा विद्यालयवार/छात्रवार उपलब्धि आख्या अपने पास सुरक्षित रखेंगें।
4. विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करने के दौरान लर्निंग आउटकम पर आधारित बच्चों का अधिगम स्तर आकलन के आधार पर सबसे कम परफारमेंस वाले 5 बच्चों से बातचीत कर प्रगति का विश्लेषण करेंगे एवं सुधार हेतु शिक्षक/प्रधानाध्यापक से वार्ता कर कार्ययोजना बनवायेंगे। (अधिगम स्तर आकलन के आधार पर कम उपलब्धि वाले बच्चों को यह एहसास न होने दें कि उनका परफारमेंस कम है)

Scanned with OKEN Scanner

5. दीक्षा ऐप के प्रयोग हेतु निरन्तर समीक्षा करेंगे । दीक्षा एप शिक्षण सामग्री/गतिविधि/आडियो-विजुअल, विषय वस्तु को देख व समझकर आत्मसात करने एवं कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आनन्दकारी बनाने हेतु शिक्षक को प्रेरित करेंगे।
6. दीक्षा एप में आडियो-विजुअल/डिजिटल सामग्री के Adoption एवं Viewing Time बढ़ाने हेतु शिक्षकों का अभिमुखकरण करना एवं उन्हें प्रेरित करेंगे।
7. जनपद में गठित एस0आर0जी0, खण्ड शिक्षा अधिकारी, डायट एवं डी0पी0ओ0 के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
8. पर्यवेक्षण के समय विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों जैसे- विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्थाए समय-सारिणी का प्रयोग, बाल संसद/मीना मंच, पुस्तकालय, खेलकूद आदि गतिविधियों का अवलोकन एवं माडल शिक्षण का प्रदर्शन (डिमान्सट्रेशन) करेंगे।
9. प्रत्येक Academic Reource Person (ARP) के पास अपने विषय से सम्बन्धित एक किट होगा, जिसमें विषय से सम्बन्धित टी.एल.एम., साहित्य, पाठ्यक्रम, लर्निंग आउटकम तथा कुछ ऐसी कच्ची सामग्री एवं उपकरण होगें जिनसे वह आवश्यकतानुसार मौके पर अपनी विषयवस्तु के सापेक्ष कुछ टी.एल.एम./सामग्री तैयार कर सके।
10. विद्यालय भ्रमण के दौरान विभिन्न महत्त्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे जैसे लैंगिक, समता-समानता, जीवन कौशल शिक्षा, पर्यावरण संवेदना, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, आत्मरक्षा, बाल अधिकार आदि विषय पर विचार विमर्श के द्वारा शिक्षकों को संवेदनशील बनायेंगें।
11. विद्यालय भ्रमण उपरान्त प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ चर्चा करेगें एवं पर्यवेक्षण पंजिका में अपने द्वारा प्रदान किये गये शैक्षिक अनुसमर्थन एवं आगामी कार्ययोजना के बिन्दुओं को अंकित करेगें तथा प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक साथी हस्ताक्षर उपरान्त इसकी फोटो खींचकर प्रेरणा ऐप पर अपलोड करेंगे। अगले भ्रमण में यह सुनिश्चित करेंगे कि दिए गए सुझावों व तय की गयी कार्ययोजना का विद्यालय द्वारा अनुपालन किया गया अथवा नहीं।
12. विद्यालय स्तर पर छात्र प्रोफाइल व सतत व्यापक मूल्यांकन प्रपत्र भरने में आ रही कठिनायों का निदान करेगें।
13. विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों या बेहतर शिक्षण-अधिगम प्रयासों अभिलेखीकरण करेंगे तथा डायट, डी.पी.ओ. व राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
14. कक्षा अवलोकन/शिक्षक से बातचीत के आधार पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गुणवता सुधार हेतु शिक्षकों की आवश्यकता आधारित अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण करेगें।
15. ब्लाक स्तर पर नवाचारी व बेहतर शिक्षण-अधिगम कार्य करने वाले शिक्षकों का समूह (पीयर लर्निंग कम्यूनिटी-PLC) विकसित करेंगे तथा नवाचारी शिक्षकों द्वारा किये गये कार्यों को विकास खण्ड के अन्य शिक्षकों के साथ साझा करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

16.बी.आर.सी. स्तर पर होने वाली प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकों में Academic Reource Person (ARP) प्रतिभाग करेंगे तथा विद्यालय स्तरीय अकादमिक उपलब्धियों तथा चुनौतियों से उन्हें अवगत करायेंगे तथा इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक कार्ययोजना विकसित करायेंगे।

17.जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि एवं शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु कार्यशाला, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिता, बैठक, रैली इत्यादि का आयोजन करेंगे।

५- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में एक माह के अन्दर Academic Reource Person (ARP) का चयन सुनिश्चित करायें तथा चयनोपरान्त Academic Reource Person (ARP) की सूची एक सप्ताह के अन्दर शासन को प्रेषित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया

22/10/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. एजूकेशन आफिसर, शिक्षा, यूनीसेफ, लखनऊ।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner